UIT RGPV SHIVPURI
समर्पितो भव उत्कृष्टतायै

यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी–आर.जी.पी.व्ही.

(राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का घटक संस्थान)

सतनबाड़ा, ग्वालियर रोड, शिवपुरी (म0प्र0)–473551

छात्रावास सूचना पुस्तिका

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना मध्यप्रदेश विधान सभा अधिनियम 13 / 1998 द्वारा वर्ष 1998 में हुई. विश्वविद्यालय लगभग 247 एकड़ के विशाल परिसर में एक पहाड़ी के समीप सुरम्य तथा हरे-भरे प्राकृतिक परिवेश में स्थित है एवं तकनीकी शिक्षा अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता को केंद्र में रखते हुए विकास की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय राज मार्ग 46 पर स्थित ग्राम सतनवाड़ा के नजदीक 25 एकड़ में फैले यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी–आरजीपीवी शिवपुरी को वर्ष 2020 में म॰ प्र॰ शासन द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस संस्थान को एनटीपीसी द्वारा 110 करोड़ की सीएसआर की राशि से निर्मित किया गया है। म॰ प्र॰ शासन ने इस संस्थान के संचालन के लिए राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को सौंप दिया है। वर्तमान मे यह संस्थान राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की एक घटक संस्थान है जिसमें तकनीकी शिक्षा के विभिन्न ब्रांच के स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं. संस्थान परिसर में छात्रों की सुविधा के लिये एक बालक तथा एक बालिका छात्रावासों की स्थापना की गयी है। जिनमें स्नातक के नियमित **छात्र/छात्राओं** को रहवास की उत्कृष्ट सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं. दोनों छात्रावास संस्था परिसर के पूर्णतः सुरक्षित शांत सुविधाजनक एवं प्राकृतिक वातावरण में अलग अलग जगहों पर स्थित है. छात्रावास कार्यालय छात्रावास में ही स्थित हैं जहाँ से सभी आवश्यक नवीनतम जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं. प्रस्तुत छात्रावास सूचना पुस्तिका में छात्रावास प्रशासन को संचालित करने वाले तथा छात्रावास से संबंधित विभिन्न मुद्दों के सुगम तथा बाधा रहित समाधान के लिए सामान्य नियमों और विनियमों की चर्चा की गई है। संस्थान में जब भी आवश्यक हो, छात्रावास से सम्बंधित नियमों और विनियमों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है। छात्रावास सूचना पुस्तिका तथा विभिन्न अनुलग्नक संस्थान की वेबसाइट www.uitshivpuri.rgpv.ac.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं.

1. छात्रावास

संस्थान में 01 बालक छात्रावास एवं 01 बालिका छात्रावास संचालित हैं. छात्रावासों से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र.	छात्रावास का नाम	कक्षा	कुल क्षमता
1.	**छात्र छात्रावास**	प्रथम वर्ष से स्नातक तक के छात्र	240
2.	**छात्रा छात्रावास**	प्रथम वर्ष से स्नातक तक **की छात्राएं**	225

2. छात्रावास प्रशासन

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी छात्रावास प्रशासन का गठन करते हैं, छात्रावास की गतिविधिओं के सुचारू संचालन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी नीचे दर्शाए गए पदानुक्रम के अनुसार छात्रावास प्रशासन के कार्य में सलंग्न रहते हैं

संचालक

↓

छात्रावास अधीक्षक

↓

सहायक छात्रावास अधीक्षक

↓

छात्रावास केयर टेकर

↓

छात्रावास छात्र समिति

2.1 प्रत्येक छात्रावास की निगरानी वार्डन/सहायक वार्डन द्वारा की जाती है और इसका प्रबंधन केयरटेकर (जो संख्या में एक या एक से अधिक हो सकते हैं और शिफ्टों में कार्य करते हैं) द्वारा किया जाता है.

2.2 दैनंदिन कार्यों के लिए जरूरी निर्णय वार्डन या सहायक वार्डन द्वारा लिए जायेंगे. नीतिगत निर्णय या असामान्य परिस्थितियों के मामले संचालक महोदय या अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत जायेगे.

2.3 भोजन शाला का प्रबंधन वार्डन के निर्देशन में सहायक वार्डन, मेस सुपरवाइजर तथा भोजन शाला समिति द्वारा किया जाएगा.

2.4 छात्र सहायता, मार्गदर्शन अथवा शिकायत निवारण के लिए उपर्युक्त में से किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. किसी भी तरह के लिखित आवेदन उच्च अधिकारियों तक उचित माध्यम से अग्रेषित किये जाने चाहिए.

2.5 यदि कोई अधिकारी पदानुक्रम में नीचे आने वाले किसी अधिकारी के कार्यों से संतुष्ट ना हो तो वह अपने से उच्च अधिकारी को असंतोष के कारण सहित अन्य जरूरी विवरण देते हुए लिखित में सूचित कर सकता है. ऐसे मामले अंत में संचालक को भेजे जायेगे. संचालक संबंधित अधिकारी पर किसी भी तरह की उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं.

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

छात्रावास प्रशासन में संलग्न विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को यहाँ परिभाषित किया जा रहा है। यदि आवश्यक हो तो संचालक के अनुमोदन पश्चात निम्नानुसार परिभाषित सभी कर्तव्य और जिम्मेदारियां परिवर्तनीय हैं.

वार्डन

a) छात्रावास का समग्र प्रशासन.
b) छात्रावास तथा भोजन शाला के सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाए रखना.
c) संचालक के निर्देशन में संस्था के नियमो के अनुसार छात्रावास, मेस अथवा विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण कार्यों के लिए जरूरी सामग्री की खरीद को सुनिश्चित करना.
d) छात्रावास में आकस्मिक समस्याओ के निपटारे की व्यवस्था करना.
e) छात्रावास प्रशासन तथा छात्रों से सम्बंधित के समस्त डेटा का संधारण.
f) छात्रावास नियमों के आलोक में छात्रों को रूम आवंटन के लिए नीति बनाना.
g) छात्रावासों में अनुशासन सुनिश्चित करना.
h) संस्थान के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करना.
i) छात्रावास में खेल–कूद या संस्कृतिक गतिविधिओं के आयोजन की निगरानी करना.
j) छात्रावास के कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी करना.
k) छात्रावास कार्यालय में बनाये गए विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों की जांच करना.
l) छात्रावास की गतिविधिओं के सुचारू संचालन और छात्रों से बेहतर संवाद के लिए छात्रावास का नियमित भ्रमण.

सहायक वार्डन

a) छात्रावास की गतिविधिओं के सुचारू संचालन के उपर्युक्त कार्यों में वार्डन की सहायता करना और उनके निर्देशों का पालन करना.
b) छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना और छात्रों की गंभीर अनुशासनहीनता के सभी प्रकरणों की वार्डन को लिखित में रिपोर्टिंग करना तथा तदनुसार छात्रों की व्यक्तिगत फाइल मेंटेन करना.
c) छात्रावास की विद्युत् या सिविल अनुरक्षण कार्यों से सम्बंधित सभी शिकायतों को सम्बंधित अनुरक्षण विभागों तक अग्रेषित कर समाधान की व्यवस्था करना.
d) मेस सुपरवाइजर तथा भोजन शाला समिति के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए भोजन की गुणवत्ता की सतत जांच के साथ–साथ मेस के कुशल और बाधारहित प्रबंधन को सुनिश्चित करना. आवश्यकता पड़ने पर वार्डन को सूचित कर समस्या के समाधान की व्यवस्था करना.
e) विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों को मेन्टेन किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना.
f) मेस सुपरवाइजर मेस में रखे गए विभिन्न रजिस्टरों और मेस कार्ड में की जाने वाली प्रविष्टियों की सतत जांच करना.

केयरटेकर

a) सहायक वार्डन वार्डन को प्रशासन के सभी कार्यों में सहयोग करना और उनके निर्देशों का पालन करना
b) छात्रों को कमरे का आवंटन करना और छात्रावास के कक्षों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना.
c) छात्र के छात्रावास में कक्ष आवंटन के आवेदन पत्र सहित सभी आवश्यक संलग्नक तथा फीस इत्यादी के विवरण की एक व्यक्तिगत फाइल का संधारण करना.
d) छात्रावास के सभी जैसे स्टॉक रजिस्टर, इन–आउट रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर इत्यादी मेन्टेन करना.
e) छात्रों की प्रतिदिन एक बार अटेंडेंस लेना. छात्रों के अवकाश पर जाने की दशा में आवेदन प्राप्त कर अवकाश की अवधि की जानकारी मेस सुपरवाइजर को सूचित कर मेस कार्ड और व्यक्तिगत फाइल में अपडेट करना.
f) छात्रावास के रहवासियों से प्राप्त किसी भी तरह के आवेदन को सहायक वार्डन के माध्यम से अग्रेषित करना.
g) विविध प्रकार के सर्टिफिकेट यथा आवास प्रमाण पत्र, गेट पास, अदेय प्रमाण पत्र इत्यादी जारी करना.
h) स्वच्छ पेयजल, बिजली आदि की आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करना और आवश्यकता पड़ने पर सहायक वार्डन को सूचित कर समस्या के समाधान की व्यवस्था करना.
i) निर्धारित प्रारूप में सहायक वार्डन वार्डन को दैनिक रिपोर्ट देना.
j) सहायक, माली, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड के काम की निगरानी करना और जरुरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना.

मेस सुपरवाइजर–

मेस सुपरवाइजर मेस संचालक द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा जो निम्नानुसार मेस का प्रबंधन करेगा.

a) मेस का कुशल प्रबंधन व छात्रों की उचित मांगों का निराकरण सुनिश्चित करना.
b) मेस में रखे गए सभी रजिस्टर मेस कार्ड में सभी प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करना.
c) भोजन शाला समिति के साथ समन्वय कर मासिक या साप्ताहिक मीनू तैयार करना और इसे सूचना पटल पर प्रदर्शित कर मेस के सभी सदस्यों को सूचित करना.
d) मेस में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सहायक वार्डन के माध्यम से समस्या के समाधान को सुनिश्चित करना.

3. **छात्रावास शुल्क–** छात्रावास के विभिन्न शुल्कों का विवरण इस प्रकार हैः–

विवरण	राशि
छात्रावास धरोहर राशि	रुपये 5000/– मात्र (केवल एक बार एवं वापसी योग्य)
छात्रावास आवास शुल्क	रुपये 3000/– मात्र (प्रति सेमेस्टर)

यदि छात्र/छात्रा संस्थान द्वारा निर्धारित समय सीमा में छात्रावास शुल्क नहीं जमा करते हैं तो 100/– रुपये प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क देय होगा. यह विलम्ब शुल्क भोजन शाला शुल्क पर भी अलग से देय होगा जिसका विवरण कंडिका 4/2 में दिया गया है. यदि छात्र/छात्रा विलंब शुल्क सहित आवास या अन्य कोई भी देय शुल्क जमा करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि (कॉशन मनी) से समायोजित कर दी जाएगी. साथ ही छात्र को आवास रिक्त करना होगा तथा उसे अगले सेमस्टर में छात्रावास में आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी.

4. सुविधाएँ

छात्रावास **में** डबल सीटर कक्ष उपलब्ध हैं, डबल सीटर कक्ष दो छात्रों को आवंटित किये जायेंगे. प्रत्येक छात्र को एक कुर्सी, एक टेबल, एक पलंग दिया जाता है. जबकि स्विच बोर्ड, पंखा एवं ट्यूब लाइट रहवासियों द्वारा सम्मिलित रूप से उपयोग किये जाते हैं. सामान्यतः छात्र को एक बार कक्ष का आवंटन हो जाने पर पूरे शैक्षणिक सत्र में कक्ष बदला नहीं जा सकेगा. छात्रावास परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए 24x7 सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं.

4.1 **खेल–कूद तथा मनोरंजन गतिविधियाँ** सभी छात्रावासों में एक कॉमन हाल है जिसमे टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे इनडोर गेम्स खेलने की सुविधा हैं. साथ ही, सभी छात्रावास परिसरों में वालीबाल, क्रिकेट तथा बैडमिंटन जैसे आउटडोर गेम्स खेलने की भी सुविधाएँ हैं. इसके अतिरिक्त अलग से पूर्ण सुसज्जित जिम्नेशियम भी उपलब्ध है. छात्रावासों में हिंदी तथा अंग्रेजी के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र तथा महत्वपूर्ण सम–सामयिक पत्र–पत्रिकाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं. छात्रों के मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के लिए छात्रावासों में टेलीविजन की सुविधा हैं. सभी छात्रों के लिए 24x7 इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है. रहवासी छात्रों द्वारा परिसर में कई तरह की सामाजिक गतिविधिओं के आयोजन के साथ विभिन्न त्योहार एवं पर्व भी मनाएं जाते हैं. ये गतिविधियाँ छात्र–छात्राओं के बीच सामाजिक समरसता, एकता एवं सदभाव को बढ़ाने के साथ साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में मददगार होती हैं.

4.2 **भोजन शाला (मेस) सुविधाः–** वर्तमान में संस्था में मैस व्यवस्था नहीं है। छात्र/छात्राओं को टिफिन व्यवस्था से अपनी स्वयं की भोजन व्यवस्था करना पड़ेगी।

4.3 **मेडिकल एवं स्वास्थ्य सुविधाः** संस्था परिसर में कर्मचारियो/अधिकारियों एवं अध्ययनरत सभी छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गयी है.

5. छात्रावास प्रवेश विधि–

शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में (सामान्यतः जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में) संस्था के सभी छात्रावासों में रिक्त कक्षों के विरुद्ध प्रवेश के लिए छात्रों से आवेदन मगाएं जाते हैं. छात्रावास में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक 1) अनिवार्यतःनिम्न संलग्नकों के साथ जमा करने होंगेः–

a) संस्था में प्रवेश अथवा पंजीकरण का प्रमाण पत्र
b) अर्हकारी परीक्षा (जेईई/हायर सेकेंडरी/बीई) इत्यादी की स्कोरशीट/मार्कशीट
c) पहचान प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड)
d) निवास प्रमाण पत्र
e) विकलांगता प्रमाण पत्र
f) जाति प्रमाण पत्र
g) रैगिंग रोकथाम हेतु **छात्र का आश्वासन** प्रपत्र (अनुलग्नक 2)
h) रैगिंग रोकथाम हेतु **माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता** प्रपत्र (अनुलग्नक –3)
i) छात्रावास के नियमों के पालन हेतु **छात्र व अभिभावक का घोषणा पत्र** (अनुलग्नक 4)

छात्रावास में आवास आवंटन निम्न नियमों के आधीन होगा.

5.1 अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. किसी भी आवश्यक अनुलग्नक के न होने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है.

5.2 छात्रावास में कक्षों का आवंटन केवल संस्था में पंजीकृत या प्रवेश प्राप्त नियमित छात्र–छात्राओं को ही किया जायेगा. ऐसे छात्र जिनका संस्था में पंजीकरण रद्द हो गया है या जो संस्था में आगे पढाई जारी रख सकने में असमर्थ हैं. उन्हें छात्रावास में कक्ष आवंटन की पात्रता नहीं होगी और अगर किसी भी कारण से ऐसे छात्रों को छात्रावास में कक्षों का आवंटन हो गया है तो वह स्वयमेव ही रद्द माना जायेगा तथा छात्र को छात्रावास कक्ष रिक्त करना होगा.

5.3 छात्र–छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश केवल कोर्स समाप्ति की न्यूनतम अवधि तक के लिए ही दिया जाएगा. कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरी होने पर उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा. छात्र–छात्रा को इस अवधि का छात्रावास शुल्क 400/– रुपये प्रतिमाह महीने की दर से जमा करना होगा. भोजन शुल्क वास्तविक उपभोग के आधार पर देय होगा.

5.4 15 दिन से कम अवधि तक रहने पर आवास शुल्क नहीं लिया जाएगा परन्तु इससे अधिक दिन तक रहने पर पूरे माह का आवास शुल्क देय होगा.

5.5 कैंसर, ह्रदय, मिर्गी जैसी गंभीर या किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित आवेदकों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. आवेदन पत्र में छात्र/छात्रा को इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किसी गंभीर या संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं है. साथ ही सामान्य स्तर की बीमारी से संबंधित मेडिकल हिस्ट्री आवेदन पत्र में दर्ज करनी होगी. यदि कोई छात्र/छात्रा अपनी किसी गंभीर मेडिकल बीमारी के जुड़े तथ्य छुपाकर प्रवेश प्राप्त कर भी लेता है तो तथ्यों के प्रकाश के आने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में किसी आकस्मिक दुर्घटना के लिए छात्रावास प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा.

5.6 छात्र/छात्रा को कक्ष का आवंटन एक बार हो जाने पर पूरे शैक्षणिक सत्र में कक्ष बदला नहीं जा सकेगा. केवल विशेष स्थितियों में संचालक महोदय की अनुमति से किया जा सकेगा.

5.7 प्रवेश नियमों की श्रेणी निम्नानुसार है–

श्रेणी अ) छात्रावासों में आवास आवंटन में दिव्यांगों एवं PMSS के तहत जम्मू और कश्मीर के निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी.

श्रेणी ब) छात्रावासों में आवास आवंटन कंडिका 1 में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार अर्हकारी परीक्षा प्रवेश परीक्षा में अर्जित प्राप्तांको की मेरिट के आधार पर होगा.

श्रेणी स) किसी भी छात्रावास में उपलब्ध रिक्त कमरों की कुल संख्या की 5 प्रतिशत रिक्तियां संचालक कोटे से भरी जायेंगी.

श्रेणी द) तत्पश्चात कक्षों की उपलब्धता होने की स्थिति में स्थानीय छात्रों को भी आवास आवंटन किया जा सकेगा.

5.8 प्रवेश में आरक्षण का प्रतिशत निम्न प्रकार होगाः

अनारक्षित=50% अन्य पिछड़ा वर्ग=14% अनुसूचित जाति=16% अनुसूचित जनजाति=20%

छात्रों को आवास आवंटन के पश्चात कक्ष रिक्त होने की दशा में संचालक महोदय के अनुमति के पश्चात किसी भी अन्य छात्र जिनका उल्लेख कंडिका 1 में नही है. स्टाफ, संविदा शिक्षकों तथा कर्मचारियों को भी आवास उपलब्ध कराया जा सकता है. ऐसे रहवासियों को संस्था के नियमानुसार आवास किराया, बिजली बिल या अन्य सभी प्रकार के चार्ज (जो भी लागू हो) देना बाध्यकारी होगा. ऐसे रहवासियों पर वे सभी नियम लागू होंगे जो छात्रावास छात्र–छात्राओं के लिए हैं.

6. छात्रावास आचार संहिता

6.1 छात्रावास में आवास आवंटन होने पर छात्र छात्रावास केयरटेकर अथवा छात्रावास कार्यालय के क्लर्क को अपनी उपस्थिति देगा एवं आवंटित कमरे की चाभी प्राप्त कर कमरा अपने लिए अधिकृत करेगा. छात्र को कमरे में प्राप्त सामग्री जैसे फर्नीचर, विद्युत् उपकरण आदि की पावती प्रदान करनी होगी.

6.2 सत्र/कोर्स की समाप्ति पर विद्यार्थी अपना कमरा खाली कर समस्त फर्नीचर, विद्युत् उपकरण आदि को छात्रावास केयरटेकर/अन्य अधिकृत कर्मचारी को वापस कर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा. विद्यार्थी अगर किसी कारणवश कुछ अतिरिक्त दिन छात्रावास में रहना चाहता है तो उसे सम्बंधित छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी.

6.3 छात्रावास के सभी रहवासियों से छात्रावास परिसर के अंदर व बाहर सभ्य, शिष्ट और शालीन व्यवहार की अपेक्षा की जाती है. वे छात्रावास अथवा संस्थान परिसर में कर्मचारियों, सहपाठियों अथवा किसी अन्य रहवासी के साथ सहज एवं मित्रतापूर्ण तरीकों से व्यवहार करें एवं किसी प्रकार के विवाद की स्थिति पैदा न होने दें. अभद्र

व्यवहार, धमकी देने, लड़ाई–झगड़ या हिंसात्मक आचरण का प्रदर्शन करने पर छात्र आर्थिक दंड के साथ अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होगा.

6.4 छात्रावास की दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों इत्यादी पर खरोंचना, चित्रकारी करना, उपकरणों से छेड़–छाड़ करना अथवा तोड–फोड करना पूर्णतः वर्जित है. उपरोक्त में से किसी भी गतिविधि में संलग्न पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. छात्रावास में निवास की अवधि के दौरान छात्र/छात्रा के कक्ष में होने वाली तोड़–फोड़ या छात्र/छात्रा द्वारा संस्थान की किसी संपदा को नुकसान पहुचाये जाने के लिए छात्र स्वंय ही जिम्मेदार होगा और नुकसान कि भरपाई छात्र/छात्रा को स्वंय के खर्च पर करनी होगी.

6.5 रहवासी बिजली, पानी या संस्थान के अन्य प्रकार के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे. कमरे से बाहर जाने की दशा में बिजली बल्ब, ट्यूब लाइट, पंखे आदि को बंद करें एवं पानी की टोंटी इत्यादी बंद रखे. संसाधन का दुरुपयोग करते हुए पाए जाने पर छात्र या छात्रा आर्थिक दंड के पात्र होंगे.

6.6 किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य, शराब, धूम्रपान, जुआ, लाटरी इत्यादी खेलना पूर्णतः वर्जित है एवं ऐसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं. छात्रों द्वारा संस्थान परिसर/छात्रावास में किसी भी प्रकार के जानलेवा हथियार, डंडा या राड रखने या उनके पास से किसी असमाजिक अश्लील सामग्री इत्यादि के पाए जाने पर छात्रावास से तुरंत निष्कासन के साथ ही अन्य आवश्यक दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

6.7 छात्रावास में विद्युत् उपकरण जैसे रूम हीटर, कूलर, इंडक्शन कुकर केरोसीन, गैस, किसी भी प्रकार के चुल्हा (स्टोव) या अन्य किसी भी प्रकार के ज्वलनशील जहरीले हानिकारक पदार्थ को रखने/उपयोग करने की अनुमति नहीं है. अगर कोई विद्युत् उपकरण किसी परिस्थिति के कारण आवश्यक हैं तो इन्हे उपयोग करने से पूर्व सबंधित छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति आवश्यक है. अतिरिक्त विद्युत् उपकरणों को चलाने पर छात्र या छात्र को अतिरिक्त विद्युत् बिल की राशि अदा करनी होगी. यह राशि 200/–प्रतिमाह प्रति उपकरण के दर से वास्तविक उपभोग की अवधि तक देय होगी.

6.8 छात्रावास के फर्नीचर, विद्युत् या अन्य किसी भी प्रकार की फिटिंग को अन्यत्र स्थानांतरित करना मना है. साथ ही भवन में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन या विद्युत् आदि किसी भी प्रकार के उपकरणों का इंस्टालेशन मना है. यदि किसी कमरे में नियत मात्रा से अधिक सामान (फर्नीचर या कुछ और) हो तो उसे केयरटेकर को तुरंत ही सौपना होगा.

6.9 छात्रावास में गुटबाजी या अन्य प्रकार से एकत्रित होकर अनुशासनहीनता करने वाले सभी छात्रों पर सामूहिक कार्रवाईकी जाएगी.

6.10 छात्र अपना छात्रावास परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें. परिचय पत्र न होने पर किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है.

6.11 रैगिंग करना पूर्णतः वर्जित है. यह एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जायेगा. रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर छात्रावास से तुरंत निष्कासन होगा. गंभीर घटना होने पर संस्थान से निष्कासन एवं पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने हेतु सौंप दिया जा सकता है. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है की वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(यू.जी.सी.) एवं म.प्र. शासन द्वारा रैगिंग रोकने से सम्बंधित अध्यादेशों, एवं आदेशों को पढ़े एवं समझे (अनुलग्नक 5)

6.12 समस्त छात्रावासी छात्रों (एवं उनके पालकों) को एक शपथ पत्र देना आवश्यक है कि वे रैगिंग से सम्बंधित कानून से अवगत हैं एवं भविष्य में वे (एवं उनका पुत्र/पुत्री/पाल्य) रैगिंग से सम्बंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो इसके लिए निर्धारित दंड का पालन करेंगे. इस हेतु विद्यार्थी एवं पालकगण निर्धारित प्रारूप संस्थान के वेबपोर्टल या छात्रावास कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. निर्धारित प्रारूप भरकर जमा नहीं किये जाने पर किसी भी विद्यार्थी का छात्रावास आवंटन मान्य नहीं होगा. (अनुलग्नक 2)

6.13 रहवासियों द्वारा सांस्कृतिक, सामजिक, धार्मिक आयोजन जैसे जन्मदिन, नवागंतुक पार्टी, विदाई पार्टी अथवा किसी भी त्यौहार पर उत्सव का आयोजन शालीनता, सद्भाव एवं संस्थान अनुशासन के नियमों के अंतर्गत मनाये जाए. परिसर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को जलाना पूर्णतः मना है. छात्रावास में संगीत उपकरणों का उपयोग केवल तभी मान्य होगा जब तक कि अन्य छात्र–छात्राओं अथवा आस–पास के रहवासियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती. यह आशा की जाती है कि सभी रहवासी एक–दूसरे के एकांत, विश्राम एवं शान्ति का ख्याल रखेंगें एवं किसी भी प्रकार का शोर या ध्वनि प्रदूषण नहीं उत्पन्न करेंगें. रहवासी किसी भी प्रकार के राष्ट्र विरोधी, अधार्मिक या धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वाले आयोजनों से परहेज रखेंगें. किसी भी प्रकार के आयोजन से अशांति या नुकसान की शिकायत प्राप्त होने पर तथा आदतन शोर एवं अशांति फैलाने वालों के खिलाफ अनुशासन समिति या छात्रावास प्रशासन द्वारा दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

6.14 किसी भी छात्र या छात्रा को छात्रावास के बाहर रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं है. फिर भी यदि किसी कारणवश छात्रावास से बाहर रुकना अतिआवश्यक हो तो रहवासी तो अपने पालकों माता–पिता, स्थानीय अभिभावक की लिखित अनुसंशा के आधार पर छात्रावास अधीक्षक को कारण बताते हुए लिखित में सूचित कर अनुमति अवश्य प्राप्त करें. अधीक्षक की ऐसी अनुमति केवल और केवल माता–पिता, स्थानीय अभिभावक की लिखित अनुसंशा पर आधारित होगी. अन्यथा किसी दुर्घटना की अवस्था में छात्रावास प्रशासन की कोई जबाबदेही नहीं होगी.

6.15 यदि छात्रावास रहवासी कभी भी शहर में अपने नजदीकी दोस्त, रिश्तेदारों या स्थानीय पालकों के घर जाएँ तो रात्रि में निर्धारित समय से पूर्व छात्रावास अवश्य लौट आयें. प्रथम वर्ष के छात्रों को रात्रि 7.30 बजे के पश्चात छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं है. यदि किसी भी कारण से ऐसा करना आवश्यक है तो संबंधित छात्रावास अधीक्षक से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है, रहवासियों के रात्रि में बिना अनुमति निर्धारित समय से विलम्ब से आने पर विद्यार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमे आर्थिक दंड अथवा छात्रावास से निष्कासन शामिल है.

6.16 पालक की अनुमति के बिना तथा छात्रावास अधीक्षक को लिखित सूचना दिए बिना अपने गृहनगर या शहर के बाहर जाना मना है. शैक्षणिक सेमीनार या ग्रुप पिकनिक पर जाने के पूर्व अपने पालकों एवं सम्बंधित छात्र अधीक्षक को पूर्व सूचना देना एवं अनुमति लेना आवश्यक है. साथ ही संस्थान परिसर के बाहर घटित किसी भी घटना के लिए संस्थान, छात्रावास प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा.

6.17 सभी छात्र/छात्रा छात्रावास से बाहर जाने या अंदर आने पर गेट पर गार्ड्स के पास रखे रजिस्टर में अपने आने जाने का समय अनिवार्यतः दर्ज करेंगे. छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को रात्रि 8:30 बजे के पश्चात न तो संस्थान परिसर से बाहर जाने की अनुमति है और न ही परिसर के अन्दर आने की अनुमति है. अगर किसी भी कारण से ऐसा करना आवश्यक है, तो कारण बताते हुए छात्रावास अधीक्षक से लिखित में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है.

6.18 रहवासी किसी आगंतुक, रिश्तेदार, मित्र या किसी भी बाहरी व्यक्ति को छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अपने कमरे में नहीं बुलायेंगे. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरे में आश्रय देने पर छात्र को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है.

6.19 ऐसा कोई भी छात्र जो आत्मघात या स्वंय को किसी अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचाने करने का प्रयास करेगा या धमकी देगा, छात्रावास से निष्कासन का पात्र होगा. इसी प्रकार किसी अन्य रहवासी को आत्मघात के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होने पर भी छात्रावास से निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्रवाई जा सकेगी.

6.20 बालक छात्रावास में पुरुष एवं बालिका छात्रावास में महिला परिजन दिन में कमरे में जाकर अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य से भेंट कर सकते हैं. किसी भी स्थिति में विपरीत लिंग के व्यक्ति को रात्रि में कमरे में रुकने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी.

6.21 पालकों का विद्यार्थियों से छात्रावास में मिलने का समय प्रातः 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक है. पालकों से अपेक्षा है कि उपरोक्त समय का पालन करें.

6.22 आवश्यकता पड़ने पर पालक छात्रावास अधीक्षक से कार्यालयीन समय में मुलाकात करके अपने बच्चों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पालक कभी भी अपने पाल्य की शैक्षणिक गतिविधियों और सामजिक आचरण का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं.

6.23 बालिकाओं के पालक, स्थानीय पालक के रूप में अपने विश्वसनीय रिश्तेदारों के नाम ही देंवे. विश्वसनीय व्यक्ति न होने पर स्थानीय पालक का नाम आवश्यक नहीं है.

6.24 छात्रावास अधीक्षक स्थानीय पालक की तरह होते हैं. अतः विद्यार्थी उनकी समस्त समझाइश एवं मार्गदर्शन को सकारात्मकता और गंभीरता से ले.

6.25 सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता एवं सुझाव हेतु छात्र अपने छात्रावास अधीक्षक से कार्यालयीन समय में कभी भी मिल सकते हैं. गंभीर बीमारी अथवा किसी आपात कालीन परिस्थिति में किसी भी छात्रावास अधीक्षक से कभी भी संपर्क किया जा सकता है.

6.26 पालकों के स्थायी पते, फोन न. इत्यादी में परिवर्तन की सूचना संपूर्ण विवरण सहित छात्रावास को तुरंत प्रदान की जाये.

6.27 छात्रावास में 24x7 एक्वागार्ड का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है. परन्तु फिर भी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कारणवश पानी सप्लाई में व्यवधान की स्थिति विशेषकर गर्मी के दिनों में कम से कम 10 लीटर पीने का पानी अपने कमरे में अवश्य रखें.

6.28 पानी पाइप, विद्युत् कार्य, सफाई व्यवस्था, इन्टरनेट सुविधा एवं भवन मरम्मत से संबंधित कार्यों/शिकायतों एवं सुझावों के लिए सुरक्षा कर्मचारी के पास एक अलग रजिस्टर रखा गया है जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपनी टिप्पणीएवं आवश्यकता दर्ज कर सकते हैं. छात्र द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या, मरम्मत, सुझाव सम्बन्धी शिकायत, आवेदन देने के बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे पुनः केयरटेकर अथवा संबंधित क्लर्क से पूँछ–तांछ कर सकते हैं. तदुपरांत समस्या का हल नहीं होने पर सम्बंधित वार्डन/चीफ वार्डन या संचालक महोदय को लिखित सूचना देकर अवगत करा सकते हैं.

6.29 सभी छात्र मिलकर छात्रावास विकास सम्बन्धी सुझाव दे सकते हैं किन्तु किसी भी स्थिति में संस्थान के बाहर के व्यक्तियों के साथ मिलकर किये गए किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अनुशासनहीनता मानते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी.

6.30 संस्थान में परीक्षा देने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है. विद्यार्थियों का सामूहिक रूप से कक्षाओं में अनुपस्थित रहना (जी.टी.) प्रतिबंधित है.

6.31 छात्रावास कॉरिडोर एवं छत पर खेलना या घूमना निषिद्ध है. इसका उल्लंघन करने पर छात्र या छात्रा आर्थिक दंड या निष्कासन के पात्र होंगे.

6.32 छात्रावास एवं संस्थान प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों के कार्यों पर पूर्ण निगरानी रखी जाती हैं किन्तु फिर भी विद्यार्थी स्वंय भी सफाई के प्रति जागरूक रहें. छात्रावास के कमरों, कॉरिडोर एवं सामूहिक स्थान जैसे बाथरूम, मेस, टॉयलेट्स आदि को साफ रखना सभी की जिम्मेदारी है. संस्थान एवं छात्रावास में तैनात सुरक्षा कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी आदि के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करें.

6.33 विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है की वे बड़ी राशि एवं बहुमूल्य सामग्री अपने पास नहीं रखें अपितु उन्हें सेविंग बैंक खाते या लाकर में रखें. विद्यार्थी की लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा.

6.34 बिना किसी उचित कारण के कक्षाएं लगने के दौरान विद्यार्थी को दिन में छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है.

6.35 जो विद्यार्थी मोटर साइकिल चलाते हैं उन्हें उस पर संस्थान सुरक्षा स्टीकर चिपकाना आवश्यक है. ऐसे विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है

6.36 विद्यार्थियों को अपना सामान परिसर से बाहर ले जाने के लिए गेट–पास प्रस्तुत करना आवश्यक है. गेट–पास का प्रारूप छात्रावास ऑफिस अथवा संस्थान वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है. संस्थान एवं छात्रावास सतनबाड़ा थाने के अंतर्गत आता है. किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में छात्रावास ऑफिस में उपलब्ध फोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

प्रत्येक छात्रावासी बालक/बालिका को उपर्युक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है. नियमों का पालन नहीं करने नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. संस्थान प्रशासन नियमों में संशोधन या परिवर्धन करने का अधिकार रखता है. ऐसी किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार

निदेशक तथा संस्थान प्रशासन को है जो सभी संबंधितो के लिए बाध्यकारी होगा. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर नवीन सूचनाएँ सूचना प्राप्त करने के लिए छात्रावास सूचना पटल अवश्य देंखे.

7. अनुशासनिक उपायः–

7.1 आचरण या अनुशासन के नियमों का उल्लंघन यथा रैगिंग, शारीरिक हिंसा, मद्यपान, छात्रावास या संस्था की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, बिजली और पानी के दुरुपयोग, छात्रावास कर्मचारियों के या अन्य रहवासियों के साथ अमर्यादित या अशोभनीय व्यव्यहार तथा अपराधी की मेजबानी या उसे आश्रय प्रदान करने जैसी किसी भी अवांछनीय गतिविधियों में छात्र के शामिल पाए जाने पर अथवा इस सूचना पुस्तिका में परिभाषित किसी भी अन्य नियम के उल्लंघन के प्रकरणों में छात्रावास प्रशासन द्वारा एक जांच आयोजित की जाएगी। अगर छात्र दोषी पाया जाता है, तो छात्रावास प्रशासन ऐसी कोई भी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिसे वह उपयुक्त समझता है। प्रकरण की गंभीरता के आधार पर, प्रशासन सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. कदाचार का दोषी कोई भी छात्र निम्न प्रकार के दंडों में से किसी भी एक या अथवा सम्मिलित रूप से कई दंडों का पात्र होगा.

1) उचित आर्थिक दंड के साथ साथ छात्रावास से निष्कासन.
2) उसकी अवांछनीय तथा आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड उसकी व्यक्तिगत फाइल में बनाया जाना.
3) नुकसान की पूरी लागत छात्र या छात्रा से वसूला जाना.
4) छात्रवृति, छात्र अध्येतावृति तथा विदेशों में पढ़ाई या रोजगार इत्यादी के लिए अनुसंशा से वंचित करना.
5) किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन, खेल, युवा महोत्सव, सेमिनार या कांफ्रेंस आदि गतिविधिओं में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना.
6) पुलिस शिकायत के साथ उचित कानूनी कार्रवाई.

7.2 किसी भी तरह के आर्थिक दंड का पात्र होने पर छात्र यह राशि बैंक चालान के माध्यम से मेस अकाउंट में जमा करेगा. जिन छात्रावासों में मेस अकाउंट नहीं है, उनमें आर्थिक दंड की राशि चालान के माध्यम से छात्रावास अकाउंट में जमा करायी जायेगी. आर्थिक दंड से प्राप्त होने वाली राशि छात्रावास के अनुरक्षण कार्यों के लिए उपयोग की जायेगी। रहवासी द्वारा नियत अवधि में आर्थिक दंड जमा न किये जाने पर वह छात्रावास से निष्कासन के लिए पात्र होगा.

7.3 कंडिका 7.1 में वर्णित अधिरोपित अनुशासनात्मक आर्थिक दंड निम्न सारणी के अधीन होगा.

स.क्र.	विवरण	अनुशासनात्मकध आर्थिक दंड राशि (रुपये)
1	छात्रावास अथवा मेस कर्मचारियों और सहपाठियों के साथ अभद्र व्यव्यहार, मार–पीट या अशोभनीय गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर	500:00
2	छात्रावास अथवा संस्थान की किसी संपदा को नुकसान पहुंचाना अथवा तोड–फोड करना.	संपत्ति के वास्तविक मूल्य के बराबर एवं निष्कासन
3	बिजली, पानी या अन्य प्रकार के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग.	500:00
4	किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य, शराब, धुम्रपान, जुआ, लाटरी इत्यादी कृत्य में लिप्त पाए जाने पर, संस्थान परिसर/छात्रावास में किसी भी प्रकार के जानलेवा हथियार, डंडा या राड रखने या उनके पास से किसी असमाजिक/अश्लील सामग्री इत्यादी के पाए जाने पर.	2000:00 एवं निष्कासन
5	विद्युत् उपकरण जैसे रूम हीटर, कूलर, इंडक्शन कुकर इत्यादी का अनधिकृत एवं बिना अनुमति उपयोग अथवा केरोसीन, गैस, किसी भी प्रकार का चूल्हा (स्टोव) या किसी ज्वलनशील, जहरीले, हानिकारक पदार्थ को रखना/उपयोग करना.	1000:00
6	छात्रावास में गुटबाजी या अन्य प्रकार से एकत्रित होकर अनुशासनहीनता करना.	जांच समिति द्वारा निर्धारित
7	ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले लाउड स्पीकर का उपयोग, अशांति फैलाना राष्ट्रविरोधी, अधार्मिक या धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना या तेज आवाज करते हुए नाचना–गाना इत्यादी के पाए जाने पर.	500:00 या निष्कासनया दोनों ही
8	आगंतुक, रिश्तेदार, मित्र या किसी भी बाहरी व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्ति को छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अपने कमरे में बुलाना या आश्रयदेना.	1000:00 या निष्कासन या दोनों ही
9	भोजन शाला में शोर करना, कपडे उतारकर डांस करना, तेज आवाज में गाना बाजाना अथवा किसी अन्य प्रकार का उपद्रव या अशांति पैदा करना.	500:00
10	मेस के बाहर अपने कमरे में या किसी अन्य स्थान पर भोजन करना या प्लेट, चम्मच तथा थाली जैसे मेस के किसी भी बर्तन को बाहर ले जाना.	200:00
11	आत्मघात या स्वंय को किसी अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचाने करने का प्रयास या धमकी देना अथवा किसी अन्य रहवासी को आत्मघात के लिए प्रेरित करना	निष्कासन

8. भोजन शाला नियम–

8.1 छात्रावास के सभी रहवासी अनिवार्य रूप से भोजन शाला के स्थायी सदस्य होंगे। किसी भी छात्र या छात्रा को बाहर से टिफिन मंगाने की अनुमति नहीं होगी.

8.2 सभी छात्रावासों में पांच रहवासियों की एक भोजन शाला समिति होगी जिसका प्रधान भोजन शाला सचिव कहलायेगा. समिति के सदस्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे तथा समिति का कार्यकाल सामान्यतः छः माह की अवधि के लिए होगा. भोजन शाला समिति के

सदस्य, मेस ठेकेदार, केयरटेकर तथा सहायक छात्रावास अधीक्षक एक साथ मिलकर मेस का बाधा रहित व कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेंगें. भोजन शाला समिति सहायक छात्रावास अधीक्षक के साथ मिलकर भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी. साथ ही सभी रहवासियों की सहमति से भोजन शाला की समय सारणी तथा साप्ताहिक अथवा मासिक मीनू को अग्रिम रूप से तैयार कर इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगी। इसके अतिरिक्त मेस में उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की समस्या को छात्रावास प्रशासन को तत्काल सूचित कर उसके समाधान की उचित व्यवस्था करेगी.

8.3 भोजन शाला का कोई भी सदस्य, छात्र भोजन शाला से संबंधित किसी भी समस्या को भोजन शाला समिति के समक्ष रख सकता हैं. समिति के सदस्य अपने सचिव तथा छात्रावास प्रशासन के माध्यम से मेस से संबंधित छात्रों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था करेंगे. समिति के सदस्यों से मेस के कर्मचारियों तथा छात्रावास प्रशासन के कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के साथ संयमित, शालीन और सौहाद्र पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है. इसके पश्चात भी यदि समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, तो सभी छात्र समिति के माध्यम से एक हस्ताक्षरित लिखित शिकायत अपने छात्रावास अधीक्षक को दे सकते हैं. किसी भी समस्या के समाधान के लिए उत्तेजना या क्रोध में कोई निर्णय न ले.

8.4 सभी रहवासी भोजन शाला में भी अनुशासन बनाए रखेंगे. भोजन शाला में शोर करना, तेज आवाज में गाना बाजाना अथवा किसी अन्य प्रकार का उपद्रव या अशांति पैदा करना पूर्णतः वर्जित है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.

8.5 मेस समिति के सदस्यों के अलावा अन्य किसी को भी रसोईघर या स्टोर रूम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

8.6 छात्रों को मेस में अथवा अपने कमरे में स्वयं ही भोजन पकाने की अनुमति नहीं है।

8.7 किसी भी छात्र या छात्रा को छात्रावास परिसर में मेस के बाहर अपने कमरे में या किसी अन्य स्थान पर भोजन लेने की अनुमति नहीं है और न ही वे प्लेट, चम्मच तथा थाली जैसे मेस के किसी भी बर्तन को बाहर ले जा सकेंगे. कोई भी छात्र जो मेस के बर्तनों को किसी अन्य जगह ले जाने का दोषी पाया जायेगा वह आर्थिक दंड का पात्र होगा.

8.8 कोई भी रहवासी भोजन नष्ट नहीं करेंगे. लगातार भोजन नष्ट करने की दशा में छात्र पर आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाएगा.

8.9 सभी रहवासी मेस और उसके आस पास के परिवेश को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करेंगे और दीवारों पर नोटिस या कोई कागज नहीं चिपकाएगे।

8.10 भोजन शाला में खाना खाने के बाद सभी छात्र थाली, गिलास या उपयोग किये गए अन्य बर्तन निर्धारित जगहों पर ही रखेंगे. साथ ही प्लास्टिक, कागज के कप इत्यादी जैसी त्याज्य सामग्री को कचरे के डिब्बे में रखंगे.

8.11 नोटिस बोर्ड में चस्पा सूचनाओं को उनके अनुपयोगी होने तक हटाया नहीं जाना चाहिए।

8.12 सभी रहवासी भोजन हाल में आपस में और मेस के कर्मचारियों से सभ्य और शालीन तरीके से बातचीत करेंगे।

8.13 यदि कोई छात्र बीमार है और उसे डॉक्टर की सलाह पर एक खास आहार (जैसे कम तेल वाले भोजन या दलिया इत्यादी) की आवश्यकता है तो वह मैस ठेकेदार या मेस कमेटी के सदस्यों को इस तरह की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

8.14 भोजन शाला में किसी भी दशा में नॉन–वेज भोजन की अनुमति नहीं है.

8.15 छात्रों की सुविधा के लिए आवश्यक होने पर मेस की समय सारणी में थोड़ा फेर बदल किया जा सकता है। यह परिवर्तन भोजन शाला समिति तथा सहायक छात्रावास अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा.

संलग्न प्रारूपः

1. छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक 1)
2. रैगिंग रोकथाम हेतु **छात्र का आश्वासन** प्रपत्र (अनुलग्नक 2)
3. रैगिंग रोकथाम हेतु **माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता** प्रपत्र (अनुलग्नक 3)
4. छात्रावास के नियमों के पालन हेतु **छात्र व अभिभावक का घोषणा पत्र** (अनुलग्नक 4)
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक 5)

अनुलग्नक 2

छात्र का आश्वासन

1. मैं ..... (प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री ..... जिसे ..... (संस्थान का) नाम में प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमोंए 2009 की एक प्रति प्राप्त की है (जो इससे आगे से *विनियम* कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह समझ लिया है.

2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं.

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9,1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दंडात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती हैं यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षडयंत्र करने का दोषी पाया जाता हूँ.

4. मैं एतद् द्वारा सत्यनिष्ट रूप से प्रमाणित करताध्करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि–
   i). मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊंगा/होउंगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग माना जाए.
   ii). मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूंगी न ही उसके षडयंत्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊंगा/होउंगी जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग के रूप में माना गया हो.

5. मैं, एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसारए इनसे बिना पूर्वाग्रह मैं दंड के लिए तथा ऐसी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दंडात्मक अथवा किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है.

6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षडयंत्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर ना तो निष्काषित किया है। ना ही प्रवेश से बाधित किया है– और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि यदि की गई ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा.

घोषित किया गया..... दिन .....माह.....वर्ष ..... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयथार्थ कही गई है.

घोषित किया गया..... दिन .....माह.....वर्ष ..... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

अनुलग्नक 3

माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (माता पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम , उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या) के पिता–माता/अभिभावक, जिसके छात्र को ....(संस्थान का) नाम में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों*ए* 2009 (जो आगे से *विनियम* के नाम से कहलायेंगे) को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है.

2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है.

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ, कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षड़यंत्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दंडात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है.

4. मैं एतद् द्वारा सत्यनिष्ट रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि–
   i). मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग माना गया है.
   ii). मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग के रूप में माना गया हो.

5. एतद् द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ, कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दंड का भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा–तथा जो दंड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दंड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा.

6. एतद् द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमे सहायक होने की अथवा षड़यंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा.

घोषित किया गया..... दिन .....माह.....वर्ष ..... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयथार्थ कही गई है.

घोषित किया गया..... दिन .....माह.....वर्ष ..... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

अनुलग्नक 4

छात्र व अभिभावक का घोषणा पत्र

मैंने निम्नलिखित समस्त नियमों और उपनियमों की एक प्रति हासिल कर सावधानी पूर्वक पढ़कर समझ लिया है.

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक 5)
2. छात्रावास सूचना पुस्तिका

मैं उपर्युक्त समस्त नियमों/उपनियमो का पूर्ण पालन करने का वचन देता/देती हूँ. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी सत्य है. मैं यह जानता हूँ/जानती हूँ कि उपर्युक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्रवाई छात्रावास/संस्थान प्रशासन द्वारा की जाएगी.

छात्र के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल नंबर.....

मैंने तथा मेरे पाल्य/पुत्र/पुत्री ने निम्नलिखित समस्त नियमों और उपनियमों की एक प्रति हासिल कर सावधानी पूर्वक पढ़कर समझ ली है. मेरे पाल्य/पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी सत्य है. मैं यह जानता हूँ/जानती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे पाल्य/ पुत्र/पुत्री के निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्रवाई छात्रावास/संस्थान प्रशासन द्वारा की जाएगी.

माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल नंबर .....